



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49412

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3354 वर्ष 2026

सोन पाल सिंह

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : विनय कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक अनुरोध पर, उन्हें आज दिन के दौरान अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) उत्तर प्रदेश पुलिस, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है।
2. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विनय कुमार पाण्डेय और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर. एस. उमराव को सुना।
3. रिट याची की व्यथा यह है कि उसे मूलतः वर्ष 1988 में कांस्टेबल (आरक्षी) के रूप में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात उप निरीक्षक के रूप में प्रोन्नत किया गया था। रिट याची स्लिप डिस्क से पीड़ित होने का दावा करता है और वह कासगंज से अपने गृह जिले अर्थात् मथुरा स्थानांतरण की मांग करता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि रिट याची के दावे के लिए प्रथमतः तृतीय प्रत्यर्थी, अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) उत्तर प्रदेश पुलिस, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा न्यायनिर्णयन की आवश्यकता है।
5. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याची को **27.03.2026** तक तृतीय प्रत्यर्थी, अपर पुलिस महानिदेशक (स्थापना) उत्तर प्रदेश पुलिस, मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है। तत्पश्चात, तृतीय प्रत्यर्थी दो माह की अवधि के भीतर रिट याची के दावे का निर्णय करेगा।

11 मार्च, 2026

राजेश

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।